कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 236.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (लाइनमैन) भर्ती नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (लाइनमैन) भर्ती संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग (लाइनमैन) भर्ती नियम, 2000 में,—

(i) नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं" ।

(ii) नियम 3 में, शब्द और अंक "स्तंभ 5 से स्तंभ 14" के स्थान पर शब्द और अंक, "स्तंभ 5 से स्तंभ 13" रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(iii) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लाइनमैन	1*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, (5200—20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :** संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं तथा ईपीएबी एक्स या ईपीए एक्स के रख रखाव, पुश बटन टेलीफोन उपकरणों की मरम्मत, ईपीएबी एक्स या ईपीए एक्स से संलग्न केबलिंग कार्य और अन्य संबद्ध कार्य का अनुभव रखते हैं, जिसके न हो सकने पर :

(11)
केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जो ईपीएबी एक्स या ईपीए एक्स के रखरखाव, पुश बटन टेलीफोन उपकरणों की मरम्मत, ईपीएबी एक्स या ईपीए एक्स से संलग्न केबलिंग कार्य और अन्य संबद्ध कार्य का अनुभव रखते हैं । **टिप्पणी 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पणी 2 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 39021/2/2011-स्था. (बी)]

यू. एस. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 4, तारीख 6 जनवरी, 2001 को प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 178, तारीख 1 सितम्बर, 2007 द्वारा उसमें पश्चातवर्ती संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 24th September, 2012

G.S.R. 236.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Union Public Service Commission (Lineman) Recruitment Rules, 2000, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Lineman) Recruitment Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission (Lineman) Recruitment Rules, 2000,—

(i) for rule 2, the following shall be substituted, namely :—

"2. **Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.**—The number of post, classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules".

(ii) in rule 3, for the words and figures "column 5 to 14", the words and figures "column 5 to 13" shall be substituted.

(iii) for existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lineman	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, (Rs. 5200—20200) plus Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(10)	(11)
By deputation	**Deputation :** Officials holding analogous posts on regualr basis in the office of Union Public Service Commission having working experience of maintenance of EPABX or EPAX, repair of push button telephone instruments, cabling work attached with EPABX or EPAX and other related works, failing which : Officials of the Central Government ,— (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (b) possessing working experience of maintenance of EPABX/EPAX, repair of push button telephone instruments, cabling work attached with EPABX/EPAX and other related works. **Note 1 :** Period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale

	(11)
	extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 39021/2/2011-Estt. (B)]

U. S. CHATTOPADHYAY, Under Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R.4, dated the 6th January, 2001 and subsequently amended *vide* G.S.R. 178, dated the 1st September, 2007.

(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 237.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी समूह 'ख' भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, भर्ती नियम, 2012 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।